आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 487/इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री अनिल भवानी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 5 (4), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एजीझेडपीबी 7409 डी		

आ. अ. सं. 475/इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्रीमती कमला भवानी, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त वृत्त 5 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एआरवाईपीबी 0603 के		

आ. अ. सं. 476/इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री लालचंद भवानी, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त वृत्त 5 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एईएचपीबी 0152 एम		

अपीलार्थियों की ओर से	श्री गिरीश अग्रवाल तथा सुश्री निशा लाहोटी
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री पुनीत कुमार, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि	10.12.2019
उद्घघोषणा तिथि	11.12.2019

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेशों क्रमशः दिनांक 07.01.2019, 22.01.2019 तथा 24.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारितियों को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारितियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारितियों के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारितियों को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारितियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारितियों को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

आदेश 11.12.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 11.12.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल